

फिल्मी हीरो रणवीर का पता नहीं मिला, ट्विटर पर भेजा कानूनी नोटिस

कुलदीप भावसार. इंदौर

कोर्ट के मामलों में नोटिस अमूमन डाक के जरिये ही भेजे जाते हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया का असर इस पर भी नजर आने लगा है।

मद्र के इंदौर के एक वकील नरेंद्र सिंह ने फिल्म कलाकार रणवीर सिंह को ट्विटर पर नोटिस भेजा है। इसकी वजह वे बताते हैं कि उनके पास रणवीर के घर का पता नहीं था। इसलिए उन्हें ट्विटर के माध्यम से नोटिस देने का विचार आया।

इस मामले में आलिया भट्ट को डाक से नोटिस भेजा गया है। एडवोकेट सिंह की शिकायत के मुताबिक, रणवीर सिंह मेक माई ट्रिप के ब्रांड एंबेसडर हैं। उनके द्वारा किए विज्ञापन से प्रभावित होकर उनके पक्षकार सूरज कुमार राय ने 23 मार्च 2015 को पचमढ़ी के लिए 25-26 मार्च की बुकिंग कराई थी।

मेक माई ट्रिप ने होटल शिवा में दो रात-तीन दिन की बुकिंग कन्फर्म करते हुए पैसे भी जमा करवा लिए। तय तारीख पर राय होटल पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि मेक माई ट्रिप ने रहने का कोई इंतजाम नहीं किया है।

पक्षकार ने कंपनी से संपर्क किया तो बताया गया कि होटल में रूम उपलब्ध नहीं है। जबकि होटल संचालक ने रूम खाली पड़े होने की बात कही थी। तब राय ने साढ़े तीन हजार रुपए का अतिरिक्त भुगतान कर इसी होटल में कमरा ले लिया।

नोटिस में कहा कि कंपनी ने तो उपभोक्ता के साथ धोखा किया ही है, रणवीर सिंह के ब्रांड एंबेसडर होने से उनका भी नैतिक दायित्व है कि वे ऐसा कोई कार्य न करें कि ग्राहकों तक भ्रामक और झूठी जानकारी पहुंचे।

कोर्ट स्वीकार कर सकता है ऐसे नोटिस यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वह ट्विटर पर भेजे नोटिस को साक्ष्य अधिनियम के तहत ग्राह्य करे या नहीं। – राहुल पेटे, एडवोकेट

साभार-

<http://naidunia.jagran.com/madhya-pradesh/indore-indore-advocate-sends-notice-to-ranveer-singh-over-hotel-booking-ad-769495#sthash.zJRP01xp.dpuf>